रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072023-247591
CG-DL-E-25072023-247591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2023/श्रावण 3, 1945
No. 430] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 536(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारुप, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 152 (अ), तारीख 24 फ़रवरी, 2022 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 24 फ़रवरी, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2023 है ।

(2) इन्हें तारीख 1 जनवरी, 2021 को लागू माना जाएगा और तारीख 30 जून, 2021 तक छह महीने की अवधि के लिए प्रवत्त रहेंगे ।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम 1950 में ,-

(क) नियम 55 के, उप-नियम (1) के, तीसरे परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परन्तु यह भी कि तारीख 01.04.2020 से पहले नियुक्त कोई व्यक्ति, तारीख 1 जनवरी 2021 से तारीख 30 जून 2021 की अवधि के लिए बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हित होगा, यदि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अंशदान, तारीख 1 अप्रैल 2020 से तारीख 30 सितंबर 2020 की अंशदान अवधि में उन्तालीस दिनों से कम या 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अंशदान अवधि में अठहत्तर दिनों से कम के लिए संदेय नहीं था और उस व्यक्ति के लिए बीमारी हितलाभ की दैनिक दर उप-नियम (2) में प्रदान की जाएगी, जिसकी संगणना यथास्थापित तारीख 1 अप्रैल 2020 से तारीख 30 सितंबर 2020 की अंशदान अवधि या तारीख 1 अक्टूबर 2019 से तारीख 31 मार्च 2020 तक की अंशदान अवधि के दौरान लागू मानक हितलाभ दर के आधार पर होगी";

(ख) नियम 56 के, उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया, अर्थात्: -

" परन्तु कि कोई बीमाकृत महिला तारीख 1 जनवरी 2021 से तारीख 30 जून 2021 की हितलाभ अवधि में होने वाले या होने के लिए आशयित प्रसव के लिए मातृत्व हितलाभ का दावा करने हेतु पात्र होगी, यदि ऐसी महिला संबंध में अंशदान, तुरंत पूर्ववर्ती दो लगातार अंशदान अवधियों, अर्थात, तारीख 1 अक्टूबर 2019 से तारीख 31 मार्च 2020 और तारीख 1 अप्रैल 2020 से तारीख 30 सितंबर 2020 के ठीक पूर्ववर्ती अवधि में पैंतीस दिनों से कम के लिए संदेय नहीं था ।"

[फा.सं. एस-65012/02/2021-एसएस-।]

अलोक चंद्र, ज्येष्ट श्रम और रोज़गार सलाहकार

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212, तारीख 22 जून, 1950, द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2023

G.S.R. 536(E).—Whereas a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 152(E), dated the 24^{th} February, 2022, as required under sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (XXXIV of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty day from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 24^{th} February, 2022;

And whereas, no objection or suggestion has been received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (XXXIV of 1948), the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2023.

   (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2021, and shall remain in force for a period of six months till the 30th day of June, 2021.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950,-

   (a) in rule 55, in sub-rule (1), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

   "Provided also that a person, appointed before the 1st April, 2020, shall be qualified to claim sickness benefit for the period 1st January, 2021 to the 30th June 2021, if the contributions in respect of such person were payable for not less than thirty-nine days during the contribution period 1st April, 2020 to the 30th September, 2020, or for not less than seventy-eight days during the contribution period 1st October, 2019 to the 31st March, 2020, and the daily rate of sickness benefit for that person shall be as provided in sub-rule (2) calculated on basis of standard benefit rate applicable during the contribution period 1st April, 2020 to the 30th September, 2020 or during the contribution period 1st October, 2019 to the 31st March, 2020, as the case may be.";

   (b) in rule 56, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

   "Provided that an insured woman shall be eligible to claim maternity benefit for a confinement occurring or expected to occur during the benefit period 1st January, 2021 to the 30th June, 2021, if the contributions to such woman were payable for not less than thirty-five days in the immediately preceding two consecutive contribution periods, namely, the 1st October, 2019 to the 31st March, 2020 and the 1st April, 2020 to the 30th September, 2020.".

[F. No. S-65012/02/2021-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.25 21:24:00 +05'30'